कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/912/2019/10–11/ 3712 भोपाल, दिनांक 10/11/2021

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPB060/2020-BHO दिनांक 26.09.2020

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं की जानकारी चाही है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– बिन्दु क्रमांक–1, 2 एवं 3 के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि यह संस्थान पैरालिसिस तथा पैरा प्लेजिक के मरीजों के इलाज के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा संस्थान ग्वालियर जिले के 200 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी स्थित नहीं है। इस संस्थान में कुछ मशीनें ऐसी भी लगाई जाने वाली हैं जो भारत में किसी अन्य संस्था में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि जिस स्थान पर यह हॉस्पिटल निर्मित किया जा रहा है वह सुगम स्थान पर निर्मित हो ताकि दूर से आने वाले मरीज आसानी से इस स्थान पर पहुंच पाये। प्रस्तावित स्थल रेलवे स्टेशन से मात्र 04 किलोमीटर की दूरी पर तथा बस स्टैंड से 02 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः बाहर से आने वाले मरीज बिना किसी बड़े खर्चे के, बिना किसी परेशानी के इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह हॉस्पिटल किसी भी राजस्व भूमि पर निर्मित नहीं किया जा सकता है। नियमों के अनुसार यह अस्पताल कृषि भूमि पर भी निर्मित नहीं हो सकता है। इसे पब्लिक या सेमी पब्लिक स्थल पर ही निर्मित किया जा सकता है। आपके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि इस हॉस्पिटल की स्थापना के लिए ग्वालियर शहर या ग्वालियर जिले में अन्य कोई स्थल उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि ग्वालियर शहर एक बहुह बड़ा शहर है, जिसमें सर्वेक्षण के बाद अन्य स्थल उपयुक्त ना होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई वर्षों का समय लग जाएगा, वन मण्डल अधिकारी ग्वालियर ने भी बिंदु क्रमांक 10 में यह प्रमाणित किया है।

2– बिन्दु क्रमांक–4 के पालन में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर ग्वालियर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलित है। आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रमाण पत्र अंतिम् औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

3– बिन्दु क्रमांक–5 के पालन में वन मण्डलाधिकारी ग्वालियर की अनुशंसा ऑनलाईन भाग–2 के अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी है एवं छायाप्रति संलग्न है।

4– बिन्दु क्रमांक–6 के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि इस कार्य के लिए पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

5– बिन्दु क्रमांक–7 एवं 8 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक–1, 2, 3 में दी गई जानकारी के अनुसार उक्त बिन्दुओं की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

6– बिन्दु क्रमांक–9 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा दी गई गैर वनभूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण की भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर का प्रमाण पत्र ऑनलाईन भाग–2 के अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दिया गया है एवं छायाप्रति संलग्न है।

7– बिन्दु क्रमांक–10 के पालन में लेख है कि प्रस्तावित कार्य के लिए पर्यावणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित भूमि घाटीगांव अभ्यारण्य में नहीं है। साथ ही प्रस्तावित वनभूमि ईको सेंसिटिव जोन में भी नहीं हैं। अतः CWLW के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

8– बिन्दु क्रमांक–11 के पालन में लेख है कि यह कार्य non- site specific है। इस संबंध में आवेदक संस्थान से जानकारी चाही गई। आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 29.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) से यह अवगत कराया गया कि उक्त अस्पताल का निर्माण PSP (Public & Semi Public) भूमि पर ही किया जा सकता है। PSP भूमि जो उपलब्ध हो रही है वह शहर से 10–12 कि0मी0 की दूरी पर मिल रही है। आवेदक संस्थान ने यह भी अवगत कराया है कि अपंग व्यक्तियों के इलाज के लिए वर्तमान में दक्षिण भारत के वैल्लोर शहर जाना पड़ता है। इनका संस्थान अपंग व्यक्तियों के इलाज हेतु रोबोटिक मशीन लगावेगा। आवेदक के अनुसार इस कार्य हेतु अस्पताल शहर के बीच होना आवश्यक है ताकि मरीजों को आवागमन की सुविधा रहे।

9– बिन्दु क्रमांक–12 के पालन में लेख है कि प्रस्ताव में चाही गई वनभूमि में आम जनता के इलाज के लिये है। आपके द्वारा पूर्व में इसी प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था वह एक स्कूल के निर्माण से संबंधित था। वर्तमान प्रकरण आम जनता से जुड़ा होने के कारण इसे स्वीकृत करने का अनुरोध है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–5/912/2019/10–11/3713 भोपाल, दिनांक 10/11/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी, MIG-247, माधव नगर, ग्वालियर, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी
एम.आई.जी. 247 माधव नगर
ग्वालियर (म0प्र0)

दिनांकः 05.10.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः 1. भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB060/2020-BHO दिनांक 26.09.2020

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ–5/912/2019/10–11/3297 BHO दिनांक 30.09.2020

महोदय,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र द्वारा चाही गई बिंदु क्रमांक 1,2,3,4,6,7, एवं 8 की जानकारी निम्नानुसार है –

बिंदु क्रमांक 1, 2 तथा 3 का संयुक्त उत्तर :–

चूंकि यह संस्थान पैरालिसिस तथा पैरा प्लेजिक के मरीजों के इलाज के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा संस्थान ग्वालियर जिले के 200 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी स्थित नहीं है। इस संस्थान में कुछ मशीनें ऐसी भी लगाई जाने वाली हैं जो भारत में किसी अन्य संस्था में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि जिस स्थान पर यह हॉस्पिटल निर्मित किया जा रहा है वह सुगम स्थान पर निर्मित हो ताकि दूर से आने वाले मरीज आसानी से इस स्थान पर पहुंच पाये। प्रस्तावित स्थल रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर तथा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है अतः बाहर से आने वाले मरीज बिना किसी बड़े खर्चे के, बिना किसी परेशानी के इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह हॉस्पिटल किसी भी राजस्व भूमि पर निर्मित नहीं किया जा सकता है। नियमों के अनुसार यह अस्पताल कृषि भूमि पर भी निर्मित नहीं हो सकता है। इसे पब्लिक या सेमी पब्लिक स्थल पर ही निर्मित किया जा सकता है। आपके द्वारा यह उल्लेख किया गया है की इस संबंध में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि इस हॉस्पिटल की स्थापना के लिए ग्वालियर शहर या ग्वालियर जिले में अन्य कोई स्थल उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में यह अनुरोध है की ग्वालियर शहर एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें सर्वेक्षण के बाद अन्य स्थल उपयुक्त ना होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई वर्षो का समय लग जाएगा वन मंडल अधिकारी ग्वालियर ने भी बिंदु क्रमांक 10 में यह प्रमाणित किया है।

कार्या. अ.प्र मु.व.स (भू.प्र.)

बिंदु क्रमांक 4 का उत्तर :–

भारत सरकार के नियमों के अनुसार एफ आर ए प्रमाण पत्र अंतिम स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है अतः यह प्रमाण पत्र अंतिम स्वीकृति के पूर्ण प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

बिंदु क्रमांक 6 का उत्तर :–

इस कार्य के लिए पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है

बिंदु क्रमांक 7 का उत्तर :–

जैसा कि ऊपर भी लेख किया गया है कि ग्वालियर जिला एक बहुत बड़ा जिला है तथा ग्वालियर शहर में राजस्व भूमि कहां-कहां उपलब्ध है इसकी जानकारी तथा इन सभी स्थलों की केएमएल फाइल तैयार करने में कई वर्ष का समय लगेगा । इसलिए यह जानकारी आवेदक स्तर से दिया जाना संभव नहीं है।

बिंदु क्रमांक 5, 8, 9, 10, 11, 12 का उत्तर :–

उक्त बिंदुओं का संबन्ध वन विभाग से है। अतः कोई टीप नही है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त संस्थान के निर्माण के लिये स्थल का चयन मरीजों की सुविधा को देखते हुये किया गया है। अतः उक्त भूमि का वन विभाग के नियामानुसार संस्थान के लिये उपलब्ध करायी जावे। तथा हमारी संस्था वन विभाग के समस्त नियमों का पालन करने के लिये वचनवद्व रहेगी।

धन्यवाद

Neoteric Education And Service Society

आवेदक संस्था
न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी
एम.आई.जी. 247 माधव नगर
ग्वालियर (म0प्र0)